(19)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /निगरानी/2015 निगरानी 1564-PBR-15

शहजाद अली आ. श्री नाजिम अली जाति पठान
निवासी ग्राम लाड़कुई तहसील नसरूल्लागंज
जिला सीहोर म0प्र0 .....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन .....रेस्पाण्डेंट

(196)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10/04/2015 प्रकरण कमांक 3/अ-68/14-15 शासन विरूद्ध शहजाद अली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, नसरूल्लागंज द्वारा पारित किया गया।

प्रकरण जो आहुत किये जाने है:-

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

01. **प्रकरण कमांक 3/अ-68/14-15 (म0प्र0 शासन विरूद्ध शहजाद अली) पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, नसरूल्लागंज जिला सीहोर द्वारा पारित दिनांक 10/04/2015**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता माननीय अधीनस्थ तहसीलदार महोदय नसरूल्लागंज के न्यायालय द्वारा क्षैत्राधिकार पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करता है:-

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ तहसीलदार महोदय के समक्ष पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन तैयार कर यह तथ्य दिया गया कि शसाकीय भमि सर्वे नंबर 199/159 रकबा 1.177 हेक्टेयर नर्इायत का भाग 0.12 डिसिमल पर निगरानीकर्ता के द्वारा अतिक्रमण कर पक्के बीम कालम उठाकर मकान मिर्नाण क रहा है मना करने पर भी निर्माण कार्य कर रहा है जिस पर से माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज कर बिना अनावेदक को सूचना एंव सूनवाई का अवसर दिये एवं अपना पक्ष रखे बगैर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर दिनांक 10/04/2015 को एक पक्षीय रूप से स्थगन आदेश पारित किया गया है जिसे जिसे निम्न वैधानिक आधारों पर चुनौती दी जाती है:-

निरंतर पेज 2 पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 1564-PBR/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण मे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया ।	
	इनके आधार पर मैं यह पाता हूँ कि तहसीलदार का आक्षेपित आदेश दि. 10-4-15, निगराकार शहजाद द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर किए जा रहे निर्माण को बंद कराने हेतु जारी किया गया स्थगन आदेश है ।	
	परीक्षण एवं विचारोपरान्त मेरा यह मत है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकना और हटाना तहसीलदार की जिम्मेदारी है । इस प्रकरण मे शासकीय भूमि स. नं. 199/159 पर निगराकार द्वारा अतिक्रमण पंचनामे मे लिखा होकर तहसीलदार के संज्ञान में आया है, जिसे विधि-अनुसार रोकना और हटाना उनका दायित्व है । इसी दायित्व के निर्वहन में तहसीलदार ने ना केवल अतिक्रामित क्षेत्र पर किये जा रहे निर्माण को रोकने हेतु स्थगनादेश जारी किया है, बल्कि इसी आक्षेपित	

[कृ. प. उ.

R. 1564/PBR/15 — क्रमशः

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
शाहजादवली	29/5/17	

आदेश दि. 10-4-15 से निगरानीकार को दि. 16-4-15 को उसका जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर भी दिया है। अर्थात् तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के लिए कोई एकपक्षीय कार्यवाही भी नहीं की है, और साथ ही उन्होंने शासकीय भूमि के संरक्षण के दृष्टिकोण से अविरत निर्माण को स्थगित करने का आदेश भी जारी किया है। तहसीलदार की इस कार्यवाही एवं उक्त आरोपित आदेश दि. 10.4.15 में, अतः, मैं कोई त्रुटि नहीं पाता हूँ और उसे यथावत रखता हूँ।

इसके साथ ही यह निगरानी अग्राह्य करता हूँ।

~~पक्षकार सूचित हों~~

साथ ही तहसीलदार को शासकीय सम्पत्ती के संरक्षण के लिए विधि अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश भी देता हूँ।

पक्षकार एवं तहसीलदार नसरुल्लागंज सूचित हों।

प्रकरण समाप्त। दा. द. हो।

(सदस्य)